संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 32)

[3 जून, 2002]

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित कर दिए गए हैं और गुजरात राज्य में बस गए हैं या बसाए जाएं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने के लिए उपबंध करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में भाग 4-- गुजरात में, प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"31. बलाही, बलाई

32. भंगी, मेहतर

33. चमार

34. चिकवा, चिकवी

35. कोली, कोरी

36. कोटवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) ।"।

संविधान (अनुसूचित जनजातिया) आदेश, 1950 का संशोधन ।

3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में भाग 4-- गुजरात में, प्रविष्टि 29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"30. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया

31. तदवी भील, बावरा, वसावे

32. पडवि " ।

राष्ट्रपति ने दि कान्सटिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—3238OLW—6-11-2003.